

**आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत
मकान प्राप्ति से विशेष लाभ**

- मण्डल द्वारा निर्मित मकान खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और मकान बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- मकान के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के मकान के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में मकान आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित मकानों का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है, जिससे मकान में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती है बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का मकान खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्क संगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बिना लाभ-हानि के सिद्धान्त पर चलता है तथा बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद रूप से मण्डल के मकान सस्ते पड़ते हैं।



राजस्थान आवासन मण्डल

'आवास भवन' जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर
फोन : 0141-2740812, 2440113, 2740614

E-mail : rejdp2.rhb@rajasthan.gov.in • Website : www.urban.rajasthan.gov.in/rhb



श्री अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

हमारा प्रयास - सबको आवास



श्री शान्ति कुमार धारीवाल
मंत्री स्वायत्त शासन
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान

राजस्थान आवासन मण्डल

महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना, बड़ली - जोधपुर

पंजीकरण योजना * वर्ष * 2020

RERA Reg. No. RAJ/P/2020/1299

मध्यम आय वर्ग 'अ'
के स्वतंत्र आवास

योजना | 1 सितम्बर 2020 से
अवधि | 30 सितम्बर 2020 तक



'मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना'



राजस्थान आवासन मण्डल

महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना,
बड़ली – जोधपुर

(पंजीकरण योजना-2020)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतंत्र आवासों हेतु
आवेदन पत्र की बिक्री/प्राप्ति व वरीयता निर्धारण का

कार्यक्रम

1. ऑफलाइन आवेदन-पत्र उपलब्ध : 1.9.2020 से 30.9.2020 तक
 2. ऑफलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 30.9.2020 सायं 6.00 बजे तक
 3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
 4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
 5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
 6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान
- अन्तिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सार्वजनिक सूचना जारी की जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर फोन : 0291-2946303 मो.नं. : 9983651500	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-8, कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर फोन : 0291-2946335	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता – द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, 17E-539/540 चौपासनी, जोधपुर फोन : 0291 - 2717539
---	---	---

विशेष :

1. रेरा पंजीकरण संख्या – RAJ/P/2020/1299
2. आवेदन पत्र रु. 300+18% जी.एस.टी सहित रु 354/- में मण्डल के कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम सेक्टर 8 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर एवं उप आवासन आयुक्त वृत्त द्वितीय सेक्टर 11, चौपासनी योजना, जोधपुर एवं आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय सेक्टर-4, कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं इंटरनेट से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु पंजीयन राशि के साथ रुपये 354/- का डी.डी./पे ऑर्डर 'राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर' के नाम से अलग से संलग्न करना अनिवार्य होगा
3. आवेदन पत्र कार्यालय उप-आवासन आयुक्त वृत्त प्रथम सेक्टर-8, कुडी भगतासनी जोधपुर में जमा कराए जा सकेंगे।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:

यह सुनिश्चित कर लें कि :-

1. आपके द्वारा जिस वर्ग में आवास हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि आवेदन करते समय फॉर्म के साथ जमा करानी होगी।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले वांछित प्रपत्रों की सूची निम्नानुसार है—
 - i. आय का प्रमाण पत्र।
 - ii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर।
 - iii. आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता की फोटो।
 - iv. संबंधित वांछित प्रमाण पत्र।
 - v. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा—
आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पास बुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेजों में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/सत्यापित प्रति।
 - vi. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है।
 - vii. पंजीकरण राशि का बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट 'राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर' के नाम से देय हो।



राजस्थान आवासन मण्डल

महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना,
बड़ली — जोधपुर

(पंजीकरण योजना-2020)

मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतंत्र आवासों हेतु

योजना की प्रस्तावना :-

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राजस्थान सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम - 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत राज्य में आमजन को सुलभ आवास उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल द्वारा सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी गई हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो। इसी कड़ी में जनसामान्य की आवास समस्या के निराकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बड़ली — जोधपुर में महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना (विशिष्ट पंजीकरण योजना-2020) प्रारम्भ करने जा रहा है, जिसमें मध्यम आय वर्ग 'अ' के 152 स्वतंत्र आवासों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता आवासन मण्डल के कार्यालयों से आवेदन शुल्क राशि कुल रुपये 354/- (आवेदन शुल्क रुपये 300/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रुपये 54/-) भुगतान कर प्राप्त कर सकता है। इस योजना में यथा सम्भव सभी मूलभूत सुविधाएँ जैसे पानी, बिजली, पार्किंग, सामुदायिक केन्द्र, रेनवाटर हावैरिंग, लैण्ड स्केपिंग, LED लाईट्स इत्यादि प्रस्तावित हैं।

बड़ली आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 833.49 बीघा है। इस आवासीय योजना में मध्यम आय वर्ग 'अ' के लगभग 152 स्वतंत्र आवास निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं जिनका विवरण तालिका 1 के अनुसार है।

तालिका - 1

आवासों का आय वर्ग, संख्या एवं अनुमानित लागत :-

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	प्लॉट साईज	निर्मित क्षेत्र लगभग	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
1.	मध्यम आय वर्ग 'अ'	152	6मी. X 14.50मी	दो बेडरूम, हॉल, किचन, दो टॉयलेट,	13.50 लाख रुपये

नोट :

- (i) आवासों की अनुमानित संख्या में नियोजन अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ii) उक्त तालिका में आवासों की केवल अनुमानित लागत बताई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास आवंटन के समय अन्तिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटि का कोई आक्षेप/विवाद मान्य नहीं होगा।

आवासीय योजना की विशेषताएँ :-

यह आवासीय योजना ग्राम बडली, जोधपुर में बाइ पास पर स्थित है। इस योजना की प्रमुख स्थलों से लगभग दूरी निम्नानुसार है :-

1.	जोधपुर-जैसलमेर बाई पास	0.0 कि.मी.
2.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	19 कि.मी.
3.	जोधपुर रेल्वे स्टेशन	15 कि.मी.
4.	जोधपुर बस स्टेण्ड	16 कि.मी.
5.	मण्डल की चौपासनी आवासीय योजना	7 कि.मी.

पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें :-

आवासों का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय समय पर जारी नियमों, उपनियमों एवं उपबंधों/परिपत्रों के अधीन निम्नानुसार किया जावेगा:-

1. इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास आवंटन की पात्रता रखेगा। उक्त प्रावधान राज्य सरकार/आवासन मण्डल द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले आदेशानुसार परिवर्तनीय होगा।
- 2.(अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र "आधार कार्ड" (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
3. यदि जोधपुर शहर का कोई इस वर्ग का पूर्व पंजीकृत आवेदक, जिसे मण्डल ने आवेदन की तिथि तक आवास का आवंटन नहीं किया है, इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा उसे कोई आवास आवंटित किया गया है।
4. इस योजना में निर्धारित आय वर्ग से दो आय वर्ग ऊपर अथवा दो आय वर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आय वर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आय वर्ग के ऊपर के आय वर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आय वर्ग से नीचे के आय वर्ग के आवेदक को तृतीय वरीयता दी जाएगी।

5. आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटा निम्नानुसार होगा :-
मण्डल द्वारा विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को देखते हुए निर्मित मकानों के आवंटन में आरक्षण का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:-

क्र. सं.	वर्ग	आवेदक की श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी / प्राईवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी)	18 प्रतिशत
		वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारी)	10 प्रतिशत
2	जी-2	सामान्य श्रेणी	29 प्रतिशत
		प्रोफेशनल श्रेणी केवल प्राफेशनल एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट एवं प्राईवेट डॉक्टर्स	05 प्रतिशत
3	जी-3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	01 प्रतिशत
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार	1.5 प्रतिशत
7	जी-7	स्वतंत्रता सैनानी	0.5 प्रतिशत
8	जी-8	वर्तमान/भू सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	03 प्रतिशत
9	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	01 प्रतिशत
			01 प्रतिशत
			01 प्रतिशत
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक एवं ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	01 प्रतिशत
		योग	100.00 प्रतिशत

6. आवासों का आवंटन नगद भुगतान/किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों में 45 प्रतिशत आवास नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जाएंगे।
7. नगद भुगतान पद्धति से आवास आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
8. इस योजना में तालिका-1 में दर्शाए गए आवासों हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं-पंजीकरण राशि का विवरण निम्नांकित तालिका-2 के अनुसार है:-

तालिका -2

क्र.सं.	आयवर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस (रुपये में)	कुल जमा योग्य राशि (रुपये में)
1	मध्यम आय वर्ग 'अ' MIG 'A'	6 लाख से 12 लाख तक	50,000 + 12% अर्थात कुल राशि 56,000	1,000 + 18% अर्थात कुल राशि 1180	57,180

9. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं। (अर्थात 25,000 + 12प्रतिशत कुल 28,000 रुपये व 1180/= 29,180)
10. थल सेना/जल सेना/वायु सेना एवं इनके भूतपूर्वक सैनिकों एवं विरांगनाओं के लिये मण्डल की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण राशि का 1/10 भाग जमा करा सकते हैं। $(5000 + 600 + 1000 + 180 = 6780)$
GST GST
11. पंजीकरण राशि स्वयं के आय वर्ग के अनुसार जमा करानी होगी।
12. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए -

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय, जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

(द) विभाग का वेतन प्रमाण पत्र लगाना होगा।

13. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती हैं तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताए नोटिस जारी किये जाकर निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
14. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस मध्यम आय वर्ग 'अ' के आवेदक हेतु 1000/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किय जाएगा।
15. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लॉटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लॉटरी के पश्चात शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि (बिना ब्याज) आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाता संख्या में लौटा दी जायेगी।
16. सामान्य एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना के आवासों हेतु पूर्व ग्रहण राशि जमा कराने के प्रावधान निम्नानुसार एवं विवरण तालिका-3 अनुसार है:-

आवास आवंटन से पूर्व आवेदकों को अपने आय वर्ग के अनुसार आवास आरक्षित करने हेतु पूर्वग्रहण राशि तीन किश्तों में जमा करानी होती है। प्रथम किश्त, पूर्वग्रहण राशि-पत्र जारी होने की तारीख से एक माह के अन्दर एवं दूसरी किश्त उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 4 माह के अन्दर तथा तीसरी किश्त का भुगतान उसी पत्र के जारी होने की तारीख से 7 माह के अन्दर या आवास आवंटन के समय जो भी पहले हो जमा करानी पड़ती है।

तालिका -3

क्र. सं.	आय वर्ग	पूर्वग्रहण राशि किश्त (रूपये में)			
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग
1	मध्यम आय वर्ग 'अ' (MIG 'A')	40,000	40,000	40,000	1,20,000

17. आरक्षण पत्र के अनुसार प्राप्त की जाने वाली किश्त की राशि पर नियमानुसार जी. एस.टी. की राशि अलग से देय होगी।
18. आवेदकों को **बिन्दु सं. 16** के अनुसार जारी किये जाने वाले आरक्षण पत्रानुसार निर्धारित तिथि तक वांछित किश्तों की राशि जमा करानी होगी। विलम्ब से जमा की

जाने वाली किश्त की राशि पर आवेदक द्वारा 12 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति / ब्याज देना होगा।

19. **तालिका-3** के अनुसार जारी आरक्षण पत्र में वांछित किश्तें आवेदक द्वारा जमा नहीं कराने पर आवेदक का वर्तमान में कराये गये पंजीकरण/आरक्षण निरस्त कर दिया जायेगा। इसके साथ ही आवेदक के उल्लेखित पूर्व मूल पंजीकरण को भी निरस्त कर दिया जायेगा।
20. इस योजना में पंजीकरण कराने वाले पूर्व पंजीकृत आवेदकों को उनकी पूर्व पंजीकरण राशि पर, पंजीकरण कराने की तिथि से आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज देय होगा। पूर्व पंजीकृत आवेदक की पूर्व में जमा राशि का समायोजन (बिना ब्याज) देय प्रथम किश्त में किया जायेगा तथा शेष राशि बिन्दु संख्या 16 के अनुसार आरक्षण पत्र में उल्लेखित तिथि तक जमा करानी होगी। जमा राशि पर ब्याज का समायोजन आवंटन पत्र में किया जायेगा।
21. प्रस्तावित योजना किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में 18 माह बाद के समय का आवेदकों को जमा पंजीकरण राशि पर नियमानुसार ब्याज देते हुए लौटा दी जायेगी।
22. **रिफण्ड**
- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा वरीयता लॉटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (ii) योजना की वरीयता लॉटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- (iii) आरक्षण पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
23. आरक्षण पत्र के अनुसार प्रथम किश्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान ही ढांचा स्तर तक निर्माण होने के पश्चात आवासों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास के निर्माण का निरीक्षण स्वयं भी कर सके।

24. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
25. मण्डल निर्मित आवासों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारित करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
26. आवंटन लॉटरी में आवेदक को आवास के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् आवास पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें आवास की शेष बकाया मांग राशि एवं जमा कराने की समयावधि का उल्लेख किया जाकर आवेदक को सूचित किया जावेगा। निर्धारित अवधि में आवास की मांग राशि मय संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए मण्डल द्वारा आवास का आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा आवेदक का पंजीकरण भी निरस्त किया जाकर मण्डल प्रावधानों के अनुरूप कटौती करते हुये आवेदक की जमा, शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
27. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास के आवंटन पत्र में वर्णित अन्य विविध खर्चे देय होंगे, जिनका आवासों की लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है, ऐसे खर्चे निम्न प्रकार के होंगे:—
 - (क) **लीज राशि :** यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
 - (ख) **अन्य खर्चे :**
 - (i) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
 - (ii) अन्य विविध खर्चे, जो कि आवासन मण्डल, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार वसूल किये जावेंगे।
28. मंडल के आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
29. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा, जैसे— आवास सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।

30. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास का आवंटन हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
31. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
32. आवासन मंडल अपनी योजनाओं/आवासों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
33. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
34. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उपबंधों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम/अधिकृत होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया लागू होंगे।
35. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को स्वयं सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और बाद में किसी आगामी Stage पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
36. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता निर्धारित आवेदन शुल्क कुल रुपये 354/- (आवेदन शुल्क राशि रुपये 300/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रुपये 54/-) भुगतान कर निर्धारित तिथि तक मण्डल कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त एवं प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् पंजीकरण आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान/समायोजन नहीं किया जाएगा।
- 37.(अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना संबंधित उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जोधपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में

मण्डल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लें।

- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय में सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लें।
38. वित्तीय सुविधायें : आवासन मण्डल से आवास लेने वाले आवेदक/आवंटी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकते हैं। इस बाबत आवासन मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किए जाएंगे।
39. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ स्वयं एवं निवास के पते का प्रमाण यथा— आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक अथवा अन्य कोई मान्य फोटोयुक्त दस्तावेज में से (वांछित दस्तावेजों की) एक-एक स्व-हस्ताक्षरित/ सत्यापित प्रति संलग्न करना होगा।
40. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास लेना चाहता है।
41. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये शून्य घोषित कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
42. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।
43. पंजीकरण राशि का बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट 'राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर' के नाम से देय हो।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

- i. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक हो तथा आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- ii. दो आरक्षित वर्गों के लिए योग्यता रखने वाले आवेदकों को किसी भी एक आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का आवेदन पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण राशि उसी के अनुरूप जमा करानी होगी।
- iii. आवेदन-पत्र में आवेदक ने आय के स्वरूप वाले कॉलम में वैतनिक अथवा अवैतनिक का उल्लेख नहीं किया तो वेतन प्रमाण-पत्र के अभाव में आवेदक को अवैतनिक श्रेणी में माना जावेगा।
- iv. अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी तथा पंजीकरण राशि में छूट का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- v. "आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से दिव्यांग/युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक/विधायक/सांसद/अधिस्वीकृत पत्रकार/स्वतंत्रता सेनानी/शौर्य पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ऐशियाड/ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी आदि के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचना अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति के साथ शपथ पत्र नवीनतम फोटो के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- vi. आवेदन पत्र में उत्तराधिकारी का मनोनयन पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहिन, पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री एवं पुत्रवधु में से ही किया जा सकेगा।
- vii. इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदक अन्य योजना व शहर में स्थानान्तरण नहीं करवा सकेंगे।
- viii. आवास आवंटन/कब्जे के बाद आवास का रख-रखाव स्वयं आवंटी द्वारा किया जायेगा।
- ix. योजना के तहत कोई भी न्यायिक विवाद जोधपुर शहर की सीमा के अन्तर्गत ही होंगे।
- x. आवासन मण्डल की इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निष्पादन विनियम 1970 के प्रावधान मान्य होंगे।
- xi. इस योजना में निर्धारित आयवर्ग से दो आयवर्ग ऊपर अथवा दो आयवर्ग नीचे के आवेदक भी मण्डल नियमानुसार आवेदन कर सकेंगे। इस स्थिति में वरीयता निर्धारण हेतु मूल आयवर्ग के आवेदक को प्रथम वरीयता तथा मूल आयवर्ग के ऊपर के आयवर्ग के आवेदकों को द्वितीय वरीयता तथा मूल आयवर्ग से नीचे के आयवर्ग को तृतीय वरीयता दी जायेगी।
- xii. आवेदन पत्र पुस्तिका राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम कार्यालय सेक्टर 8, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर/खण्ड द्वितीय कार्यालय, सेक्टर 4, कुड़ी भगतासनी योजना जोधपुर से रु. 300 + 54 (18%GST) कुल रु 354/- नगद देकर व्यक्तिशः प्राप्त किया जा सकता है एवं इन्टरनेट से फार्म डाउनलोड किया जा सकता है परन्तु पंजीयन राशि के साथ रु 354/- की डीडी/पे ऑर्डर अलग से संलग्न करना अनिवार्य है।

आवेदक का
फोटो

सभी आवेदकों के लिए

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.
..... वर्ष, जाति..... निवासी
.....एतद्वारा सशपथ घोषणा करता/करती हूँ कि:-

1. मैं भारत का/की नागरिक हूँ।
2. यह कि मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं करता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूंगा।
3. यह कि मैं इस योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी का सदस्य रहूंगा तथा सोसायटी के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा/करूंगी।
4. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त कथन तथा आवेदन पत्र में दिये गये सभी तथ्यों में कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है तथा ना ही कोई तथ्य छिपाया गया है, ना ही किसी प्रकार का छल या कपट किया गया है। भविष्य में ऐसी कोई बात मण्डल के संज्ञान में आती है। तो आवेदन पत्र / आवंटन पत्र को निरस्त करने के साथ मेरे विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यनिष्ठा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी सत्यनिष्ठा से घोषणा
करता/करती हूँ कि उपरोक्त पेरा 1 से 7 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, वे मेरी निजी
जानकारी में पूर्णतया सत्य हैं, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर
नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु.....
..... जाति निवासी
..... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है तो अंकित करें) सशपथ बयान करता/करती
हूँ:-

यह कि मेरे परिवार की वर्ष 2019-2020 में वार्षिक आय समस्त स्रोतों से निम्न प्रकार
थी-

अ. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, एजेन्सी, कृषि उद्योग दुकान या अन्य स्रोतों से
..... रुपये थी।

ब. मेरे पति/पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री की व्यापार, उद्योग,
एजेन्सी दुकान अथवा कृषि उद्योग एवं अन्य स्रोतों से वार्षिक आय
..... रुपये थी।

स. यह कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मेरे परिवार की कुल आमदनी रुपये
थी।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
जाति निवासी
सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी के
अनुसार सत्य है तथा मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरा सहायक है।

शपथ गृहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर
नोटेरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए
तथा आवेदक द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आय के स्रोत अथवा उनके स्वामित्व की
कृषि भूमि से प्राप्त आय की विवरणिका शामिल किया जाना आवश्यक है।)

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीइस विभाग/ उपक्रम/ कम्पनी/
संस्था (विभाग/संस्था का नाम) में.....
पद पर कार्यरत हैं एवं ये (केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के
उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर के) नियमित कर्मचारी हैं। इनकी 2019-20 की सकल वार्षिक आय
रुपयेथी।

क्रमांक/दिनांक

विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग/उपक्रम/प्राइवेट सेक्टर का नाम

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... जिलासंभाग.....राज्यजाति
.....के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के
अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति में है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

स्वतंत्रता सैनानियों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी
जिला स्वतंत्रता सैनानी है। इन्हें वर्ष में राज्य सरकार द्वारा
ताम्र-पत्र/प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

हस्ताक्षर

जिला कलक्टर/उप सचिव/सहायक सचिव
(सामान्य प्रशासन विभाग)
राजस्थान सरकार, जयपुर

शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी
ने वर्ष में निम्नलिखित शौर्य पदक प्राप्त किये।

1.
2.
3.

सचिव
राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी ग्राम.....
जिला अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका पत्र/पत्रिका (नाम)
..... नियमित रूप से प्रकाशित होता/होती है।

हस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

भूतपूर्व सैनिकों के लिए/सैन्य विधवा प्रमाणपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नी स्व.
श्री..... निवासी.....
..... सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक है/युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा है/युद्ध में हताहत
हुए विकलांग सैनिक है।

सचिव
राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड

(यह प्रमाण पत्र केवल भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवा आवेदकों को संलग्न करना
अनिवार्य है।)

राजस्थान के विधायकों/सांसदों के लिए

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा क्षेत्र/राज्यसभा से विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा के सत्र
..... के सदस्य हैं।

हस्ताक्षर

महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
सचिवालय

भूतपूर्व विधायकों/सांसदों के लिए

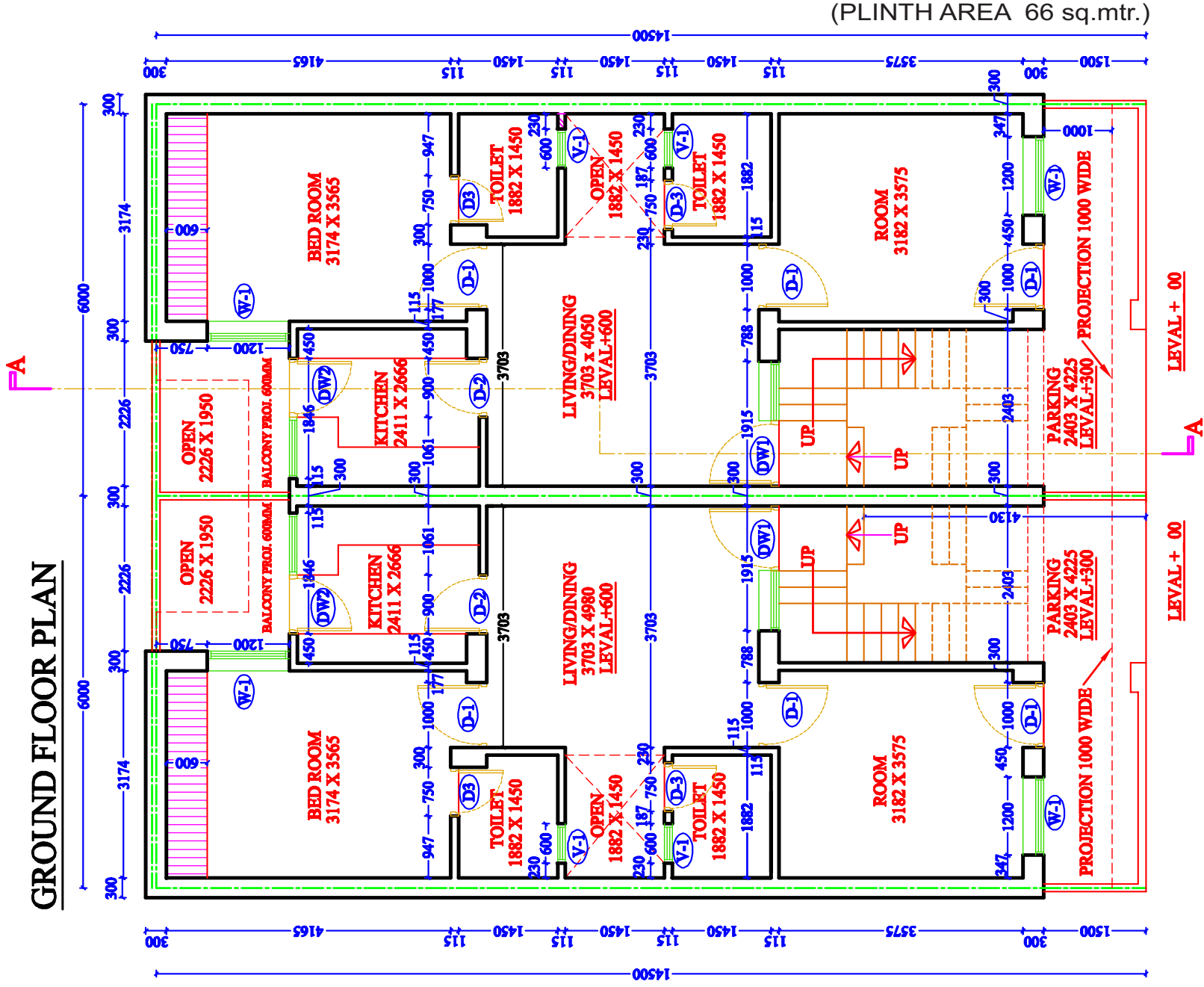
प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... विधानसभा क्षेत्र/लोकसभा
क्षेत्र/राज्यसभा, जिला से सत्र में सदस्य रहे हैं एवं
भूतपूर्व विधायक/सांसद हैं।

हस्ताक्षर

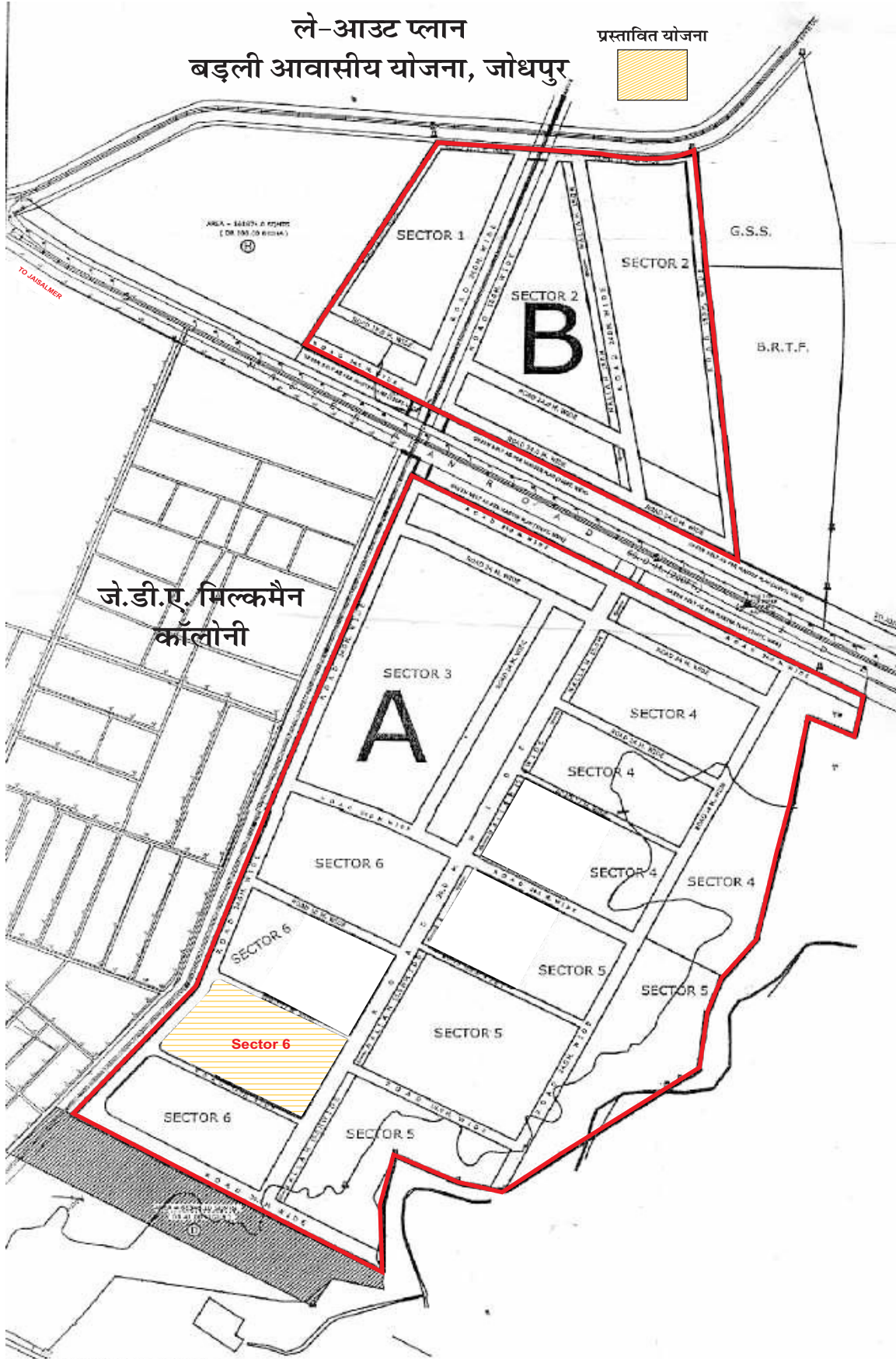
महासचिव/सचिव
लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा
सचिवालय .

GROUND FLOOR PLAN



ले-आउट प्लान
बड़ली आवासीय योजना, जोधपुर

प्रस्तावित योजना



जे.डी.ए. मिल्कमैन
कॉलोनी

आवेदक द्वारा भरा जावे

आवेदन पत्र/चालान क्रमांक

राजस्थान आवासन मण्डल
आवेदन पत्र परीक्षण सूची
महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना
बड़ली – जोधपुर
(पंजीकरण योजना-2020)
मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतंत्र आवासों हेतु
आवेदन पत्र

क्र. सं.	आवेदन पत्र पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक द्वारा चैक किए जाने वाले बिन्दु	आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा चैक किए गए बिन्दु
1.	क्या आवेदक का नाम / पिता का नाम अंकित है?	हाँ/नहीं
2.	क्या आवेदक द्वारा अपना हाल ही में खिंचवाया गया फोटो यथास्थान चिपकाया है?	हाँ/नहीं
3.	क्या आवेदक के फोटो पहचान-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार)	हाँ/नहीं
4.	क्या आवेदक के पते के प्रमाण- स्वरूप दस्तावेज संलग्न है (आवेदन पत्र में दिए विवरणानुसार) ?	हाँ/नहीं
5.	क्या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के विवरणानुसार पेनकार्ड की प्रति संलग्न की है?	हाँ/नहीं
6.	क्या आय वर्ग आवेदक की आय के अनुसार सही दर्शाया गया है?	हाँ/नहीं
7.	क्या आय वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न किया है?	हाँ/नहीं
8.	क्या आवेदक आरक्षित आय वर्ग में आता है?	हाँ/नहीं
9.	क्या आरक्षित वर्ग के लिए प्रमाण पत्र संलग्न है?	हाँ/नहीं
10.	क्या पंजीकरण राशि जमा है?	हाँ/नहीं
11.	क्या पंजीकरण राशि आय वर्ग के अनुसार सही है?	हाँ/नहीं
12.	क्या वाछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है?	हाँ/नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग हेतु

- आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया एवं आवेदक द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण सही पाया गया।
- आवेदक का गुप है –सामान्य /अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/विकलांग/पुरस्कृत /पदक
- आवेदक द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य / अयोग्य पाया गया।
- अन्य टिप्पणी.....

क.सहायक/सहायक

कार्यालय अधीक्षक

स.आवासन अधिकारी/सम्पदा प्रबन्धक

RH

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सेक्टर-8
कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

महात्मा गाँधी सम्बल अवासीय योजना
बड़ली – जोधपुर
(पंजीकरण योजना-2020)
मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतन्त्र आवासों हेतु आवेदन-पत्र

प्रथम प्रति (बैंक उपयोग हेतु)

RH

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सेक्टर-8
कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

महात्मा गाँधी सम्बल अवासीय योजना
बड़ली – जोधपुर
(पंजीकरण योजना-2020)
मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतन्त्र आवासों हेतु आवेदन-पत्र

द्वितीय प्रति (आवेदन पत्र के साथ कार्यालय उपयोग हेतु)

RH

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सेक्टर-8
कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

महात्मा गाँधी सम्बल अवासीय योजना
बड़ली – जोधपुर
(पंजीकरण योजना-2020)
मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतन्त्र आवासों हेतु आवेदन-पत्र

तृतीय प्रति (कार्यालय में पत्रावली हेतु)

RH

चालान संख्या

राजस्थान आवासन मण्डल

कार्यालय : उप आवासन आयुक्त (वृत्त प्रथम), सेक्टर-8
कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर

महात्मा गाँधी सम्बल अवासीय योजना
बड़ली – जोधपुर
(पंजीकरण योजना-2020)
मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतन्त्र आवासों हेतु आवेदन-पत्र

चतुर्थ प्रति (आवेदक की प्रति)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग

5. बैंक डीडी नं..

बैंक का नाम :

दिनांक

6. पंजीकरण राशि (अंको में)

(शब्दों में)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग

5. बैंक डीडी नं..

बैंक का नाम :

दिनांक

6. पंजीकरण राशि (अंको में)

(शब्दों में)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग

5. बैंक डीडी नं..

बैंक का नाम :

दिनांक

6. पंजीकरण राशि (अंको में)

(शब्दों में)

1. आवेदक / आवेदिका का नाम

2. पत्र व्यवहार का पता

3. भुगतान पद्धति : नकद / किराया क्रय

4. आय वर्ग

5. बैंक डीडी नं..

बैंक का नाम :

दिनांक

6. पंजीकरण राशि (अंको में)

(शब्दों में)

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :.....

स्थान :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

क्रमांक सं.

राजस्थान आवासन मण्डल

आवेदक द्वारा भरा जावे

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म

महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना, बड़ली जोधपुर
मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतंत्र आवासों हेतु
(पंजीकरण योजना-2020)

आवेदक का
नवीनतम फोटो

1.	क्रमांक नं. / लोट नम्बर	
2.	आवेदक पत्र क्रमांक	
3.	आवेदक/आवेदिका का नाम	
4.	आवेदक के पिता / पति का नाम	
5.	जन्म तिथि	
6.	राष्ट्रियता	
6.	आवेदक की पहचान का प्रमाण (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)	
	पेनकार्ड नम्बर	
	आधार कार्ड नम्बर	
	पासपोर्ट नम्बर	
	ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर	
	वोटर आईडी कार्ड नम्बर	
7.	व्यवसाय का स्वरूप इंगित करें	वैतनिक अवैतनिक
8.	स्थायी पत्र व्यवहार का पता	
	दूरभाष नं. व मोबाइल नम्बर	
9.	अस्थायी पत्र व्यवहार का पता	
10.	आय का विवरण	
	स्वयं की आय	
	पत्नी / पति की आय	
	आश्रित की आय	
	कुल आय	
11.	आवेदक यदि पूर्व में पंजीकृत है तो उसका विवरण।	पंजीकरण वर्ष
	श्रेणी व भुगतान पद्धति	
	वरीयता क्रमांक	
12.	श्रेणी	वर्ग
13.	भुगतान पद्धति	किराया क्रय नगद भुगतान
14.	पुरस्कृत/पदक प्राप्त, विकलांग	
15.	आवेदक के आवास हेतु वरीयता लॉटरी में असफल होने की दशा बैंक के माध्यम से रिफण्ड राशि सीधे ही आवेदक के खाते में भिजवाने हेतु निम्नांकित सूचना आवश्यक – रूप से दी जावे साथ ही आवेदक उक्त बैंक खाते का एक निरस्त किया हुआ चैक संलग्न करेंगे :- आई.एफ.एस.सी. कोड (सम्पूर्ण)..... खाता संख्या (सम्पूर्ण)..... खाते का प्रकार (बचत/चालू/एन.आर.आई):..... बैंक/शाखा का पता:..... मोबाइल नम्बर:.....	



राजस्थान आवासन मण्डल

पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म

आवेदन क्रमांक

महात्मा गाँधी सम्बल आवासीय योजना, बड़ली जोधपुर
मध्यम आय वर्ग 'अ' के स्वतंत्र आवासों हेतु
(पंजीकरण योजना-2020)

श्री/श्रीमती सेवर्ग हेतु.....

..... योजना के अर्न्तगत ऊपर वर्णित क्रमांक का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

मय बैंक ड्राफ्ट संख्या.....दिनांक.....बैंक का नाम.....

शाखा.....

(उपरोक्त समस्त पूर्तियाँ आवेदक स्वयं करें)

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

16	संलग्न : (i) स्वयं की पहचान का फोटोयुक्त दस्तावेज (ii) पैन नम्बर (लागू हो तो) और भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र नम्बर (यदि हो तो) (iii) आधार कार्ड (iv) पते का प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र। (v) आय का प्रमाण पत्र / आयकर विवरणिका। (vi) पूर्व पंजीकरण से संबंधित प्रमाण प्रपत्र (यदि कोई हो) (vii) पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट (viii) श्रेणी विशेष का प्रमाण पत्र (ix) स्वयं अथवा पति-पत्नि अथवा आश्रितों के नाम कोई भूमि / भवन न होने संबंधी शपथ पत्र। (x) अन्य वांछित प्रमाण पत्र / शपथ पत्र।																
17	घोषणा :- 1. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नहीं गया है। 2. मैं इसके द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबंधों एवं शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ। 3. मेरा आवेदन स्वीकार होने पर मैं आवासन मण्डल द्वारा समय समय पर मांग की गई राशियां जमा नहीं कराता हूँ तो आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के मेरा पंजीकरण / आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। 4 आवास का कब्जा प्राप्त किए जाने के पश्चात् आवास में होने वाली टूट फूट इत्यादि हेतु समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। 5 मेरी मृत्यु होने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिमानक्रम में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:- <table><tr><td>क्र.सं.</td><td>नाम</td><td>आयु</td><td>संबंध</td></tr><tr><td>प्रथम</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>द्वितीय</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>तृतीय</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध	प्रथम				द्वितीय				तृतीय			
क्र.सं.	नाम	आयु	संबंध														
प्रथम																	
द्वितीय																	
तृतीय																	
18.	ड्राफ्ट 'राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर' के नाम बनाया जायेगा।																

सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान.....
दिनांक